पाठ्यक्रम विवरणिका (प्रोस्पैक्ट्स)

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के आयुष विभाग द्वारा पूर्ण वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन है। यह रजिस्ट्रार सोसाइटीज दिल्ली प्रशासन द्वारा 11 फरवरी, 1988 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम–1860 के 21 के अन्तर्गत पंजीकृत है और यह धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या–66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली–110 026 में कार्य कर रहा है।

यह विद्यापीठ आयुर्वेद के क्षेत्र में विख्यात विद्वानों एवं विशेषज्ञों/चिकित्सकों को गुरु के रूप में नियुक्त करता है और **''गुरु शिष्य परम्परा''** की पारम्परिक पद्धति के अन्तर्गत पाठ्यक्रम चलाता है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.)

सी.आर.ए.वी. कोर्स के बारे में : राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, सफलतापूर्वक बी.ए.एम.एस. डिग्री प्राप्त किये हुए आयुर्वेदिक डॉक्टरों को व्यक्तिगत प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए आयुर्वेद में प्रमाण पत्र का आयोजन कर रही है। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने सर्वविदित आयुर्वेद चिकित्सकों की पहचान की है जिन्हें सम्बंधित विशेषता में 20 वर्षो से अधिक का अभ्यास है। सफल हुए छात्रों को **'गुरु शिष्य परम्परा'** के माध्यम से इन गुरुजनों के पास नियुक्त किया जाएगा जहां छात्र सम्बंधित विशेषता में ज्ञान व प्रशिक्षण का लाभ लेगें । पाठ्यक्रम के सफल समापन के अंत में, छात्रों को प्रमाण पत्र (सी.आर.ए.वी.) प्रदान किया जाएगा। जिन नैदानिक विशिष्टताओं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, के अन्तर्गत वे हैं : 1. कायचिकित्सा 2. स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र 3. क्षारसूत्र 4. मर्म चिकित्सा 5. भग्न और अस्थि चिकित्सा 6. शालाक्य (नेत्र रोग) 7. शालाक्य (दंत रोग) एवं इस प्रकार की अन्य नैदानिक विशिष्टताएं गुरुओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। बी.ए.एम.एस स्नातक जिन्हें भैषज्य कल्पना और औषधि निर्माण में रुचि है उनकी नियुक्ति उन प्रतिष्ठित गुरुओं के पास की जाएगी जिनके पास आयुर्वेदिक औषधि निर्माण हेतु सुविधा होगी। इस पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है जिसमें छात्रों को गुरु के निर्देशों के अनुसार सम्बंधित विशेषता में नैदानिक और अन्य कर्तव्यों में भाग लेना है। छात्रों को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के लिए किए गए कार्यो की त्रैमासिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना है। उन्हे गुरु/रा.आ.वि. द्वारा दिये गए विषय पर एक विशेष शोध निबंध भी लिखना है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ छात्रों को अध्ययन के दौरान शिक्षा और जीवन यापन की लागत को पूरा करने के लिए छात्रवृति प्रदान करता है। रा.आ.वि. द्वारा गुरु का आवंटन प्रवेश परीक्षा में छात्रों की योग्यता और उसका/उसकी चुनाव के आधार पर किया जाएगा। **छात्रों को यह समझना चाहिए कि सी.आर.ए.वी. एक शिक्षण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है ना कि एक नौकरी या रोजगार, इसलिए, छात्रवृत्ति को वेतन के रूप में नही माना जाना चाहिए।**

छात्रों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आइ.एम.सी.सी. अधिनियम 1970 के तहत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सी.सी.आइ.एम.) द्वारा आयोजित किसी भी पाठ्यक्रम से कोई संबंध नही है।

प्रशिक्षणः इस पाठ्यक्रम में चिकित्सा कार्य में लगे हुए देश के विभिन्न भागों के प्रतिष्ठित कर्माभ्यासरत वैद्यों/विद्वानों के मार्गदर्शन में आयुर्वेद चिकित्सा कर्माभ्यास (क्लिनिकल प्रैक्टिस) और आयुर्वेद औषधालय (आयुर्वेद फार्मेसी) का प्रशिक्षण शामिल है।

आवश्यक योग्यताः

पात्रताः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (आई.एम.सी.सी.) अधिनियम–1970 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किसी संस्थान/ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से **आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.)** की उपाधि हो। इन्टर्नशिप 15 जुलाई, 2018 तक पूर्ण हो जानी चाहिए।

आयु सीमाः आयुर्वेद में स्नातकों के लिए (दिनांक 15–07–2018 को) अधिकतम 30 वर्ष (जन्म 15–07–1988 से पूर्व न हो) और आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों के लिए 32 वर्ष (जन्म 15–07–1986 से पूर्व न हो)। तथापि, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की छूट दी जायेगी (जन्म 15–07–1985 से पूर्व न हो) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष (अर्थात् स्नातक को 15–07–1983 तथा स्नातकोत्तर अभ्यर्थी का जन्म 15–07–1981 से पूर्व न हो)। सरकार द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों (केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों) के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रहेगी (जन्म 15–07–1983 से पूर्व न हो) । शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यार्थी को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

पाठ्यक्रम की अवधिः एक वर्ष

शिक्षावृत्ति : प्रतिमाह 15,820/–रु0 तथा समय–समय पर लागू मंहगाई भत्ता।

आरक्षण :

समय–समय पर प्रचलित केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार उपलब्ध कुल रिक्तियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित स्थानों के नियमों को कार्यान्वित किया जायेगा। आरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार के नियम लागू होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, **केन्द्रीय सरकार के लिए लागू सक्षम प्राधिकारी द्वारा** जारी जाति प्रमाणपत्र स्वीकार किया जायेगा।

सरकार से प्रायोजित अभ्यर्थियों (स्थायी चिकित्सा अधिकारियों) के लिए आरक्षण उपलब्ध है। प्रायोजित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की शिक्षावृत्ति देय नहीं होगी और यह अतिरिक्त अभ्यर्थी के रूप में रहेंगे। वर्ष में कुल उपलब्ध रिक्तियों में से आरक्षण 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और एक गुरु के पास इस तरह के एक शिष्य से अधिक नहीं लिया जायेगा।

आवेदक प्रवेश लेने से पूर्व कृपया दिए गए निदेर्शों को ध्यान से पढ़ें ।

प्रवेश के पूर्व के निर्देश

1. इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन–पत्र अन्तिम तिथि अर्थात् **15 जुलाई, 2018 तक या उससे पूर्व** डाक द्वारा **या** व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक रा.आ.वि. के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

2. प्रवेश शुल्क ₹ 2000/– (सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) और ₹1000/– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। एकबार जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

3. उम्मीवार उपरोक्त शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से निम्नलिखित खाते में एन.ई.एफ. टी, आई.एम.पी.एस, भीम ऐप अथवा पे–टीएम द्वारा भुगतान कर सकते हैं :

खाताधारक का नाम	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
ब्रांच	भारतीय स्टेट बैंक, पंजाबी बाग
ब्रांच का आईएफएससी कोड	**SBIN0001704**
खाता संख्या नं.	**10591642280**

4. उम्मीदवार को भुगतान की रसीद आवेदन पत्र के साथ भेजना होगा। भुगतान रसीद (जे.पी.ई.जी फाइल प्रकार) निम्नलिखित प्रकृति का हो सकता हैः–

- लेनदेन संदर्भ संख्या को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए शुल्क की सफल हस्तांतरण रसीद का स्क्रीन शॉट स्पष्ट रूप से।
- बैंक पासबुक की स्क्रीन शॉट/फोटोकॉपी स्पष्ट रुप से शुल्क के लेनदेन विवरण के साथ।
- पे–टीएम/भीमऐप के माध्यम से भुगतान की जाने वाली भुगतान रसीद का स्क्रीन शॉट।

आपके शुल्क भुगतान की स्वीकृति में, भुगतान की वास्तविक तिथि से एक दिन से अधिक समय लग सकता हैं। अभ्यर्थी को ऑनलाइन जमा किए गए फॉर्म से प्रिंट करने से पहले अपने आवेदन की स्थिति को सत्यापित करना होगा।

5. केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें, जो 'गुरु शिष्य परम्परा' के अधीन प्रशिक्षण लेने के इच्छुक हैं।

6. पाठ्यक्रम का अध्ययन एवं प्रशिक्षण विशेष रूप से 'गुरु शिष्य परम्परा' के अन्तर्गत होगा, जिसमें शिष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे गुरुजनों के स्थान के समीप अपने आवास तथा भोजन इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करें ।

7. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि गुरुजनों की वरीयता सावधानीपूर्वक दें। अभ्यर्थियों का चयन उनकी योग्यता तथा गुरुजनों को दी गयी वरीयता के आधार पर किया जाएगा। **एक बार पाठ्यक्रम में दाखिले के पश्चात् किसी भी रूप में अभ्यर्थी का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण नही किया जाएगा।**

8. सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम 2017–18 के लिए सूचीबद्ध गुरुजनों तथा संस्थाओं के नाम **(संलग्न–1)** देखें। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो सभी सूचीबद्ध गुरु तथा संस्था का वरीयता के आधार पर क्रमांकन करें। गुरुजनों का आवंटन अभ्यर्थी की योग्यता तथा परीक्षा में उसके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। **अभ्यर्थी वरीयता के क्रम में कुल गुरुजनों की कितनी भी संख्या का विकल्प दे सकते हैं।**

7. यह पूर्णकालीन पाठ्यक्रम है और शिष्यों को कोई निजी कर्माभ्यास (प्राइवेट प्रैक्टिस) या किसी प्रकार का व्यवसाय/रोजगार, किसी अन्य प्रकार का प्रशिक्षण/अध्ययन इत्यादि करने की अनुमति नहीं है।

8. लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने या चयन पश्चात् प्रशिक्षण में प्रवेश लेने के लिए यात्रा या दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

9. **यह पाठ्यक्रम केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (सी.सी.आई.एम.) द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं,** यह पाठ्यक्रम आयुर्वेदिक स्नातकों की ज्ञानवृद्धि के लिए तैयार किया गया है ताकि वे बेहतर चिकित्सक/विद्वान बन सकें ।

10. **पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को यह स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि रोजगार दिलाने या पाठ्यक्रमों को भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद्(सी.सी.आई.एम) द्वारा मान्यता प्रदान करवाने की जिम्मेदारी विद्यापीठ/गुरु की नहीं है ।**

11. जो अभ्यर्थी गुरु के सगे संबंधी (पति या पत्नी/बच्चे/भाई/बहन या उनके संबंधी) हैं, उनका इस पाठ्यक्रम में उसी गुरु के अधीन शिष्य के रूप में चयन नहीं किया जायेगा। आवश्यक होने पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

12. स्थानीय शिष्यों जिनका (स्थायी पता/वर्तमान पता/जन्म स्थान), गुरुजनों के स्थान से 250 कि.मी. से कम हो, उन्हें ऐसे गुरुजनों के अधीन प्रवेश देने हेतु विचार नहीं किया जायेगा। शिष्यों को इस संबंध में अपने निवास, वर्तमान एवं अस्थायी पतों का स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र देने होंगे।

13. वही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए पात्र समझे जायेंगे, जिन्होंने **इन्टर्नशिप 15.07.2018 तक या इससे पूर्व** पूर्ण कर ली हो ।

14. परीक्षा भवन के अन्दर किसी प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक मद जैसे मोबाइल फोन, पेन–ड्राइव या किसी भी अन्य उपकरण पूर्णतया प्रतिबन्धित हैं। अगर कोई अभ्यर्थी इन उपकरणों को रखते हुए पाया गया तो उन्हें प्रवेश परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा ।

प्रवेश की विधि

1. शिष्यों का चयन, लिखित परीक्षा पर आधारित होगा ।

2. आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम के सभी विषयों से एकल उत्तर वाले 100 बहुविकल्प प्रश्नों वाली लिखित परीक्षा ली जायेगी। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा अधिकतम अंक 100 होंगे और परीक्षा की अवधि 1 घंटा 40 मिनट होगी।

3. क्योंकि कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिये जायेंगे, अतः अभ्यर्थी सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।

4. लिखित परीक्षा का मूल्यांकन ओ.एम.आर. शीट (इलैक्ट्रानिक माध्यम्/कम्प्यूटर) से किया जायेगा। अपूर्ण अथवा गलत तरीके से भरी गई उत्तर पुस्तिका अमान्य होगी और इसका उत्तरदायी प्रार्थी होगा। अपने उत्तर अंकित करने (भरने) के लिए केवल नीली या काली स्याही वाले बॉल पोइन्ट पेन का ही प्रयोग करें। अन्य सभी रंग प्रतिबन्धित हैं। पेंसिल का प्रयोग नहीं करें।

5. यदि किसी गुरु विशेष के लिए अभ्यर्थियों के बराबर अंक आते हैं तो मानदण्ड के लिए उम्र को लिया जायेगा और वरिष्ठता में जन्म तिथि को प्राथमिकता दी जायेगी।

6. **लिखित परीक्षा की तिथि एवं समयः रविवार (22 जुलाई, 2018) प्रातः11.00 बजे है।** उम्मीदवारों को 10:00 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रस्तुत होना होगा और उन्हे किसी भी कीमत पर 10:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. **लिखित परीक्षा का स्थलः**

i. श्री सनातन धर्म सरस्वती बाल मन्दिर, रोड़ नं0 70, पंजाबी बाग (पश्चिम) नई दिल्ली–110 026.
ii. पटना (बिहार).
iii. तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, 583/2, रास्ता पेट, पुणे – 411 011.
iv. त्रिशूर (केरल).

प्रवेश के बाद निबंधन एवं शर्तें

1. चयन किए गए अभ्यर्थियों को, स्वयं का एक बन्ध–पत्र (बॉन्ड) 100/–रु0 मूल्य के गैर अदालती स्टाम्प पेपर पर (निर्धारित प्रारूप पर) दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट)/शपथ आयुक्त/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा **(केवल नोटरी से अभिप्रमाणित प्रमाणपत्र मान्य नहीं है)।** शिष्यों को प्रवेश से पूर्व लेकिन चयन पश्चात् स्वस्थता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रवेश लेने के एक महीने के भीतर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करनी आवश्यक होंगी। एक निर्धारित अवधि के भीतर अगर समस्त औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई तो अभ्यर्थियों का प्रवेश बिना किसी विचार के तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा।

2. इस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना और परीक्षा उत्तीर्ण करना शामिल है।

3. शिष्यों को प्रशिक्षण के दौरान मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रिकार्ड भेजने होंगे, जैसा उनके चयनपत्र में उल्लेखित होगा।

4. शिष्यों की उपस्थिति तथा अपेक्षित अध्ययन–रिपोर्ट/रिकार्ड आगामी महीने की 10वें तारीख तक प्राप्त होने के उपरान्त प्रत्येक महीने शिष्यों की शिक्षावृत्ति जारी की जायेगी।

5. गुरु को पाठ्यक्रम के प्रत्येक दूसरे महीने शिष्य की परीक्षा आयोजित कर उसका मूल्यांकन करना होगा कि वह अन्तिम परीक्षा तक पाठ्यक्रम जारी रखने का इच्छुक है अथवा नहीं यदि मूल्यांकन संतोषजनक होगा तो शिष्य को पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दी जायेगी अन्यथा शिष्य को पाठ्यक्रम छोड़ना होगा और 12 प्रतिशत ब्याज की दर से शिक्षावृत्ति वापस करनी होगी।

6. शिष्यों की लिखित व मौखिक रूप से अन्तिम परीक्षा उस स्थान में ली जायेगी जहां राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ निर्णय लेगा।

7. शिष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे गुरु के अधीन अध्ययन करते समय समुचित अनुशासन बनाये रखें और अपने अध्ययन पर अधिकतम समय लगाएं ।

8. **यदि शिष्य निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करता है या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पूर्व बीच में ही अध्ययन छोड़ देता है या विद्यापीठ के नियमों का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप रा0आ0वि0 द्वारा उसका शिष्यत्व समाप्त कर दिया जाता है, तो उसे रा0आ0वि0 से प्राप्त शिक्षावृत्ति की सम्पूर्ण धनराशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करनी होगी। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि इस शर्त में किसी भी मामले में छूट नहीं दी जायेगी।**

9. यह आवश्यक है कि शिष्य अपने गुरु के मार्ग–दर्शन में सप्ताह में छः दिन, प्रतिदिन कम से कम छः घंटे के अध्ययन/प्रशिक्षण ग्रहण करें, जिसके लिए उसे निर्धारित प्रारूप में दैनिक–डायरी तैयार करनी होगी ।

10. केवल पाठ्यक्रमों में भाग लेने या शिष्य की सुविधा अनुसार गुरु से मिलने से ही प्रयोजन पूरा नहीं होता। शिष्यों को एकाग्र होना चाहिए और अपने गुरु से विषय/विशिष्टता सीखने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए।

11. यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कोई गुरु प्रशिक्षण काल में सेवा कार्य से निवृत्ति लेते हैं या रा.आ.वि. उस गुरु की सेवाएं नहीं चाहता तो शिष्य को किसी अन्य गुरु के अधीन उसी विषय में जहां रिक्त स्थान उपलब्ध हो, स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। शिष्य को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

12. शिष्य, रविवारीय एवं राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त एक वर्ष में कुल 15 दिन के अवकाश के हकदार होंगे, जिसमें त्यौहार/ऋतु कालीन अवकाश (ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु आदि) सम्मिलित होगा। यदि शिष्य द्वारा अतिरिक्त अवकाश लिया जाता है तो उस अवधि के लिए कोई शिक्षावृत्ति नहीं दी जायेगी। अवकाश अवधि से पहले और उसके बाद आने वाली छुट्टियां और रविवार छोड़ दिये जायेंगे । परन्तु अवकाश अवधि के बीच में आने वाली छुट्टियां और रविवार को अवकाश के रूप में गणना में लिया जायेगा।

13. उत्तीर्ण होने वाले सभी शिष्यों को निर्धारित परिधान में प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होना आवश्यक होगा ।

14. शिष्य अपने पाठ्यक्रम के दौरान अन्य संस्थाओं द्वारा अपने विषय से सम्बन्धित किसी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी/कार्यशाला में भाग ले सकते हैं। लेकिन इसका खर्च रा0आ0वि0 द्वारा नहीं उठाया जायेगा।

15. शिष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यापीठ द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता व अनुशासन हेतु समय-समय पर संशोधित किए गए/बनाये गए नियमों एवं विनियमों का पालन करें।

16. उपरोक्त नियमों और विनियमों के परिणाम स्वरूप यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह दिल्ली की स्थानीय अदालतों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

<u>रा0आ0वि0 का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) के शिष्यों के लिए अन्तिम मूल्यांकन का तरीका</u>

रा0आ0वि0 का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सीआरएवी) के जिन शिष्यों ने अपने प्रशिक्षण का एक वर्ष पूरा कर लिया है, उनका अन्तिम मूल्यांकन निम्नलिखित मापदण्ड पर आधारित होगा। रा0आ0वि0 का प्रमाणपत्र दिया जाना निवल मूल्यांकन पर निर्भर होगा, जिसमें मूल्यांकन के सभी अलग–अलग संघटक शामिल होंगे।

किसी अभ्यर्थी को प्रमाणपत्र तभी मिलेगा, जब वह मूल्यांकन के सभी घटकों में समेकित रूप से संतोषजनक स्तर प्राप्त करेगा। ऐसा न होने के मामले में अभ्यर्थी से न्यूनत्तम एक महीने की अवधि के बाद पुनः परीक्षा देने के लिए कहा जायेगा। इस अवधि के दौरान यदि वह प्रशिक्षण का इच्छुक है और गुरु भी उसे प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो वह सम्बन्धित केन्द्र में अपना प्रशिक्षण जारी रख सकता है, परन्तु उसे यह प्रशिक्षण अपने खर्चे पर लेना होगा और रा0आ0वि0 इस अवधि के लिए कोई शिक्षावृत्ति नहीं देगा।

<u>मूल्यांकन संघटक :</u>

1. आन्तरिक मूल्यांकन
2. सिद्धान्त (थ्योरी) परीक्षा
3. मोनोग्राफ (विशेष निबन्ध)
4. विशेष रोगीवृत्त रिपोर्ट (स्पेशल केस रिपोर्ट)
5. मौखिक परीक्षा

1. <u>आन्तरिक मूल्यांकन</u>

यह सम्बन्धित सी.आर.ए.वी प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा किया जायेगा। यह मूल्यांकन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्त में किया जायेगा और वह सी.आर.ए.वी प्रशिक्षण के बाद सी.आर.ए.वी पाठ्यक्रम के शिष्य में पायी गई गुणात्मक सुधार के बारे में समग्र मूल्यांकन देगा।

2. सिद्धान्त (थ्योरी) परीक्षा

सी.आर.ए.वी के सभी शिष्यों का पाठ्यक्रम पूरा हो जाने पर उनके लिए तीन घंटे की वर्णनात्मक परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रश्न मुख्य रूप से उनके विशिष्ट प्रशिक्षण के क्षेत्र पर केन्द्रित होंगे, तथापि, आयुर्वेद अथवा उनकी विशेषज्ञता से सम्बन्धित कुछ सामान्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।

3. मोनोग्राफ (विशेष निबन्ध)

सी.आर.ए.वी के प्रत्येक शिष्य से उसके गुरु/प्रशिक्षण प्रभारी के परामर्श से उसके प्रशिक्षण की अन्तिम तिमाही में विशेष रोग दशा/चिकित्सा प्रक्रिया/औषधि–योग आदि पर मोनोग्राफ प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। इस मोनोग्राफ में नवीनता होनी चाहिए और यह समसामयिक आयुर्वेद कर्माभ्यास के सन्दर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए।

4. विशेष रोगीवृत्त रिपोर्ट (स्पेशल केस रिपोर्ट)

सी.आर.ए.वी के प्रत्येक शिष्य से उसके गुरु/प्रशिक्षण प्रभारी के परामर्श से उसके प्रशिक्षण की अन्तिम तिमाही में एक विशेष नैदानिक अवस्था आदि के संबंध में विशेष रोगी वृत्त रिपोर्ट (स्पेशल केस रिपोर्ट) प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। इस विशेष रोगीवृत्त में असाधारण टिप्पणी/नवीनता होनी चाहिए और यह समसामयिक आयुर्वेद कर्माभ्यास के सन्दर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए। यह केस रिर्पोट एक विशेष दशा के उपचार के लिए विशेष उपचार बताने पर केन्द्रित होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में उस विशेष दशा के लिए एक खास उपचार चुनने की प्रासंगिकता पर भी विचार–विमर्श किया जाना चाहिए तथा यह बताया जाना चाहिए कि इस रोग की रोग निदान सम्बन्धित नैदानिक निर्णय कैसे लिया गया।

5. मौखिक परीक्षा

सी.आर.ए.वी के प्रत्येक शिष्य के लिए सिद्धान्त परीक्षा के बाद मौखिक परीक्षा होगी। यह मौखिक परीक्षा बाह्य एवं आन्तरिक विशेषज्ञों के पैनल द्वारा ली जायेगी। इस मौखिक परीक्षा का उद्देश्य शिष्य के शास्त्र सम्बन्धी ज्ञान को ज्ञान के व्यावहारिक रूप से उपयोग करने की योग्यता का मूल्यांकन करना है जो आयुर्वेद के नैदानिक कर्माभ्यास में लाभदायक हो।